17.8.22

बकुलाराम उप.) पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलांट ने उक्त फर्जी तहसीलदार (भू.अ.) डिंडवाड़ी द्वारा नामान्तरण प्रकरण सं. 14/13 के पारित दि. 28.1.19 के विरुद्ध पेश की है। धारा 135(2) एल.आर.एक्ट के वर्णित प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार (भू.अ.) द्वारा विवादित प्रकरणों में स्वीकृति किये गये नामान्तरण की प्रकरण फाईल संबंधित अधिकृत अधिकारी के समक्ष की जायेगी, ऐसी स्थिति में धारा 135(2) एल.आर. एक्ट में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त अपील इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। न्यायालय के समक्ष अपीलांट के समक्ष न्यायालय में अपील पेश करने की छूट प्रदान करते हुए उक्त अपील डिस्मिस के साथ निरस्त की जाती है। L.C. का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बेदखल समाप्त हो। एक्ट के तहत होकर दाखिल दफ्तर हो।

अपर कलेक्टर, नागौर